# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 87/2018

1. जगतार सिंह पुत्र हर सिह जाति रायसिख साकिन 16 एस वादी--

बनाम

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। प्रतिवादी--

**अन्तर्गत धारा 88 आरटीए**

--निर्णय-- दिनांक : 04/02/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरा नाम जगतार सिंह पुत्र हर सिंह निवासी 16एस है। राजस्व रिकार्ड में गलती से मेरा नाम जंग सिंह पुत्र हर सिंह लिखा हुआ है। अतः प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की कृपा करे। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी को जंग सिंह व जगतार सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। इन्हें गांव में जंग सिंह व जगतार सिंह दोनो नाम से जाना जाता है। पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट अंकित की गयी कि जंग सिंह व जगतार सिंह एक ही व्यक्ति चक 16एस में रहता है। खाता सं0 161 में प्रार्थी का नाम जंग सिंह है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पृष्ठांकन क्रमांक 2627 दिनांक 28.06.18 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज शुद्धि हेतु भिजवाये गये।

प्राप्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थी कि भूमि के संबंध मे सहखातेदारो को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चक 15 एस की जमाबंदी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 161/144 के मु0 नं0 81, 82, 85, 107, 186/18, 186/27, 186/29, में प्रार्थी का नाम जंग सिंह पुत्र हर सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, बैक पासबुक, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में नाम जगतार सिंह पुत्र हर सिंह अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी को गांव में जगतार सिंह व जंग सिंह दोनो नामों से जाना जाता है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 15एस की जमाबंदी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 161/144 में अंकित नाम जंग सिंह पुत्र हर सिंह के स्थान पर जंग सिंह उर्फ जगतार सिंह पुत्र हर सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन बदस्तूर रहेगें। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04/02/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)